न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 01/2024 (बांसवाड़ा डिकी)

रमेश पिता नाथू, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. कलू पिता रामा, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती कमला बेवा गटु, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कमलेश पिता गटु, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. बाबु पिता नाथु, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. जगुराम पिता नाथु, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. देवा पिता केरेंग, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. बलराम पिता केरेंग (मृतक) के विधिक वारिस :–

7/1. श्रीमती रमीला पत्नी स्व0 बलराम, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

7/2. पराग स्वर्गीय बलराम, नाबालिंग जरिये प्राकृतिक माता श्रीमती रमीला पत्नी स्व0 बलराम, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. लसु पिता केरेंग, जाति भील, निवासी गांव मोटागांव, पटवार मण्डल मोटागांव, तहसील गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, गनोडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त० अधि० –1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी उपखण्ड अधिकारी घाटोल दि0 19.06.2014 प्रकरण संख्या 94/2012

---::---

उपस्थित :– 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट

---::---

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

निर्णय **दिनांक 11–11–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1705/1 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा ग्राम मोटागांव में स्थित है, जिस पर वादी अरसे दराज से काबिज चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को विरासत से मृतक रामा पिता अमरू से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी नंबर 1705/1 के मूल नंबर 1705 हैं। भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त आराजी नंबर 1705/1 के नये नंबर 1249 रकबा 1.35 हैक्टर एवं 2277 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.38 हैक्टर बने हैं, जबकि साबिक रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा के मुकाबले 2.53 हैक्टर रकबा बनना चाहिए था। इस प्रकार 1.15 हैक्टर रकबा कम बना है जो खसरा नंबर 1705 का हिस्सा बताकर खसरा नंबर 2274 रकबा 2.72 हैक्टर में गलत व अवैधानिक तरीके से तरमीम कर दिया गया है, जबकि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 आज भी खसरा नंबर 1249 रकबा 1.35 हैक्टर, 2277 रकबा 0.03 एवं खसरा नंबर 2274 रकबा 2.72 हैक्टर के 1.15 हैक्टर पर काबिज चले आ रहे हैं। अतः खसरा नंबर 1249 रकबा 1.35 हैक्टर, 2277 रकबा 0.03 एवं खसरा नंबर 2274 रकबा 2.72 हैक्टर में से 1.15 हैक्टर भाग में कब्जे के अनुसार खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19–06–2014 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिससे रूष्ट होकर वादी/अपीलान्ट यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–01–2024 को प्रस्तुत की गई है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक अपीलान्ट श्री जयेन्द्र पुरीहित की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम [illegible] पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट दिनांक 06–07–2023 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रकरण की जानकारी हेतु अपने अभिभाषक से मिला तो उसे उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अभिभाषक द्वारा अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं दी गयी, जिससे अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

5. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधिवक्ता की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

6. विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों पर कोई विचार नहीं किया है, जबकि प्रस्तुत फर्द मिलान से स्पष्ट है कि वादी के गत खसरा नंबर 1705/1 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 1249 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नंबर 2277 रकबा 0.03 हैक्टर अर्थात दोनों का कुल रकबा 1.38 हैक्टर बना है, जबकि साबिक रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा के मुकाबले रकबा 2.53 हैक्टर बनना चाहिए था। इस प्रकार 1.15 हैक्टर रकबा कम बना है, जो गत खसरा नंबर 1705 से बने हाल नंबर 2274 रकबा 2.74 हैक्टर में मिला दिया गया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र प्रतिवादी भूमिधारी के जवाबदावे पर विश्वास कर वादी का वाद पोषणीय नहीं मानकर खारिज करने में भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट/वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

7. हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श पी.1 अनुसार साबिक आराजी नंबर 1705/1 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 9 के पूर्वाधिकारी रामा पिता अमरू भील [illegible] विरासत का नामान्तरकरण संख्या 674 दिनांक 05–01–1990 वादी के पिता नाथू

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

एवं प्रतिवादीगण के पिता केरेंग, कालू, गटु के नाम स्वीकृत हुआ है। मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी.3 अनुसार साबिक आराजी नंबर 1705/1 से हाल आराजी नंबर 1249 रकबा 1.35 हैक्टर एवं 2277 रकबा 0.03 हैक्टर बना है, जो वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श पी.4 में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। अपीलान्ट/वादी का कथन है कि साबिक रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा के मुकाबले हाल रकबा 2.53 हैक्टर होता है, जबकि हाल में दोनों आराजियात का रकबा 1.38 हैक्टर ही दर्ज किया गया है। इस प्रकार हाल में 1.15 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया गया है, जो खसरा नंबर 1705 का हिस्सा बताकर आराजी नंबर 2274 रकबा 2.72 हैक्टर में मिला लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य की बिना जांच किये मात्र इस आधार पर वादी का वाद खारिज कर दिया कि "वादी को दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125–136 भू राजस्व अधिनियम में पेश करना चाहिए था ऐसा नहीं कर वादी द्वारा धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट में दावा पेश किया गया है जो पोषणीय नहीं है।" उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करना चाहिए था। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 19–06–2014 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादी के अभिवचनों को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 11–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति...)
भू–प्रबन्ध...धिकारी
एवं पदेन राजस्व अ... अधिकारी
उदयपुर